न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 231 / 2022

राकेश पुत्र रामेश्वर जाति चमार निवासी राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम

1. बनवारी पुत्र चूना जाति चमार निवासी राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर
2. सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 पिपराली सीकर
3. अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 पिपराली सीकर
4. अधिशाषी अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 पिपराली सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थी– श्री रतनलाल
वकील अप्रार्थीगण – श्री ओमप्रकाश मील, श्री नरेन्द्र फगेड़िया

निर्णय

दिनांक : 28.12.2022

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 877, 878, 879, 880 व 881 किता 5 कुल रकबा 7.24 है0 वाके ग्राम राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी 1/7 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिनका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। खसरा नम्बर 879 में गै0मू0 चाह कुआं बना हुआ है जिससे पक्षकारान भूमियों की काश्त करते है। परन्तु उक्त कुऐं में पानी की कमी हो जाने के कारण प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 एंव वाद में

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हिस्से के अनुपात में खर्चा कर एक नई ट्यूबवेल का निर्माण शामलाती खर्चे से करवाया गया । अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त ट्यूबवेल को अपनी बताकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 से अकेले के नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है। जबकि वह शामलाती खर्चे से बनावाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उसे अकेले के नाम से विद्युत कनेक्शन लेने से रोकना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ता 4 ने जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में तथ्य अंकित किये कि विवादित भूमियों का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। जवाबदाता ने अपने हिस्से में आई भूमि में स्वयं के खर्चे से ट्यूबवेल बनाया है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रामवतार बनाम महावीर 251ए में आईएलआर पिपराली ने दिनांक 11.1021 को रिपोर्ट तैयार की थी। अकेले की ट्यूबवेल होने के कारण दिनांक 11.1.2022 को विधुत विभाग को विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया । जिस पर दिनांक 7.6.2022 को डिमाण्ड नोटिस राशि जमा कर मौके पर पोल खड़े कर दिये गये । अब तार खींचे जाकर विद्युत कनेक्शन से सप्लाई चालू करनी है। जिसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। जो तथ्य प्रार्थी ने अंकित किये हैं वह गलत रूप से अंकित किये गये हैं। प्रार्थी का ट्यूबवेल में कोई हिस्सा नहीं है। विधुत कनेक्शन रोके जाने से प्रार्थी पानी पिने के लिये भी मोहताज हो गया है। विधुत कनेक्शन विकास एंव आश्वयक सेवाओं में आने के कारण इसे रोका जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने भी जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के कथन गलत तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कृषि विधुत कनेक्शन हेतु निगम में दिनांक 11.1.2022 को पत्रावली जमा करवाई थी। जिसकी डिमाण्ड राशि आवेदक ने दिनांक 7.6.2022 को जमा करवा दी। आवेदक ने 50/– रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र दिया है कि मेरा कुआ खसरा नम्बर 881 में है जिसका मै स्वयं मालिक हूं। निगम द्वारा समस्त कार्यवाही विधनुरूप की गई है। विधुत कनेक्शन एक मूलभूत आवश्यकता है व जीविकोपार्जन का साधन है। इसलिये विधुत विभाग को विधुत कनेक्शन जारी करने हेतु किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदन 5000/– रू0 का हर्जा खर्चा जवाबदातागण को दिलाते हुऐ आवेदन खारिज किया जावे।

Scanned with Oken Scanner

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 877 से 881 की खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व वाद में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि शामलाती है। खसरा नम्बर 879 गै0मू0 चाह है। खसरा नम्बर 881 रकबा 3.44 है0 । जवाबदाता ने अपने जवाब में भूमियों का बाहमी बंटवारा होना एवं रिपोर्ट आईएलआर दिनांक 11.10. 2021 की रिपोर्ट में जवाबदाता का हिस्सा अलग होना अंकित होना बताया गया है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अप्रार्थीगण को विधुत कनेक्शन नहीं जारी करने बाबत पाबन्द करने का निवेदन किया है। इस संबध में विधुत विभाग ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिवत रूप से आवेदन किया है। निगम द्वारा समस्त कार्यवाही विधनुरूप की गई है। विधुत कनेक्शन एक मूलभूत आवश्यकता है व जीविकोपार्जन का साधन है। इसी प्रकार जवाब दाता ने अपने जवाब के साथ विधुत विभाग का आदेश दिनांक 29. 7. 2013 की प्रति पेश की है। जिसमें कृषि विधुत कनेक्शन हेतु सह खातेदारी की सहमती की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सपष्ट है कि विधुत कनेक्शन विकास एंव आश्वयक सेवाओं में आने के कारण इसे रोका जाना न्यायसंगत नहीं है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।
2. सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।
3. अपूर्णिय क्षति – प्रार्थीगण का पृथम दृष्टया मामला सुर्दढ नहीं होने के कारण उन्हे किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है।
4. निष्कर्ष– उपर्युक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कृषि भूमि खसरा नम्बर 877 से 881 वाके ग्राम राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.12.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाहा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर